पंजीयन संख्या	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्राप्तांकों की पुनः गणना (संवीक्षा) हेतु आवेदन–पत्र

(कृपया संवीक्षा (Re-Totalling) के शुल्क व नियमों के बारे में पृष्ठ भाग देखें)

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

रूपये..... रसीद नं.....
दिनांक..... द्वारा जमा हुए।

हस्ताक्षर

महोदय,

मैं निम्न विषय/विषयों में प्राप्तांकों की पुनः गणना (संवीक्षा) करवाना चाहता/चाहती हुँ।

मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

1. परीक्षार्थी का नामांक (Roll No.) : .....

2. परीक्षा का नाम (चिन्ह् (✓) लगावें) :

उच्च मा.	माध्यमिक	प्रवेशिका	वरिष्ठ उपाध्याय

3. परीक्षार्थी का नाम : .....

4. पिता का नाम : .....

5. केन्द्र क्रमांक : ..... विद्यालय का नाम : .....

(अंकतालिका में लिखे अनुसार) (केवल नियमित परीक्षार्थी ही लिखें)

6. विषय जिसमें संवीक्षा करवानी है, वे निम्नानुसार हैं ।

क्र.सं.	संवीक्षा करवाने वाले विषय/विषयों के नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
परिणाम	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना/विवरण मेरी पूर्ण जानकारी अनुसार पूर्णतया सही है। मैंने आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग पर छपे नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ही उत्तरपुस्तिकाओं की संवीक्षा (पुनर्गणना) हेतु आवेदन किया है।

पत्र व्यवहार हेतु परीक्षार्थी का पूर्ण पता (अंग्रेजी में)

.....

.....

.....**Pincode**.....

पत्र व्यवहार हेतु परीक्षार्थी का पूर्ण पता (हिन्दी में)

.....

.....

.....पिनकोड.....

परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

संवीक्षा का शुल्क व नियम निम्नानुसार हैं

1. उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय की मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा में प्राप्तांकों की पुनः गणना (Re-Totalling) कराने का शुल्क रूपये 200/– (दो सौ रूपये मात्र) प्रति विषय है। जिन विषय/विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है प्रायोगिक सहित एक विषय माना जायेगा। अतः जितने विषयों की उत्तर–पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराना चाहे, प्रति विषय रूपये 200/– के हिसाब से शुल्क अपने निकटतम ई–मित्र कियोस्क पर अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर मुख्यालय पर नगद राशि से भी जमा कराया जा सकता है। डाक द्वारा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. परीक्षार्थी उत्तर–पुस्तिकाओं की फोटो–प्रति या संवीक्षा दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकता है।
3. संवीक्षा के फलस्वरूप परिणाम/अंक परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रहने की स्थिति में परीक्षार्थी को संवीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
4. संवीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनः जाँच (Re-evaluation) करना सम्मिलित नहीं है। संवीक्षा में उत्तर–पुस्तिकाओं पर दिये अंकों की जांच इस दृष्टि से की जावेगी कि कहीं अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों को जोड़ने की त्रुटि न रह गई हो अथवा कहीं किसी प्रश्न पर अंक देने से न रह गये हों।
5. संवीक्षा प्रार्थना–पत्र परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि पश्चात् दस दिवस की अवधि में किसी भी निकटतम ई–मित्र कियोस्क पर या बोर्ड कार्यालय में नगद जमा कराया जा सकता है। आवेदन–पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाईड www.rajeduboard.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्रार्थना–पत्र डाक से स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। यदि परिणाम 10 मई को घोषित होता है तो अंतिम दिनांकः 20 मई होगी और **संवीक्षा हेतु आवेदन–पत्र मय शुल्क के ई–मित्र कियोस्क/कार्यालय काउन्टर पर अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किए जायेगें। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।**
6. छात्र यदि किसी आवेदन–पत्र में अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण प्रविष्टियां करेगा तो उसका आवेदन बिना किसी पत्र व्यवहार किये निरस्त कर दिया जावेगा।
7. परीक्षार्थी को चाहिये कि वह आवेदन पत्र में परीक्षा का नाम, अपना नामांक, विषय/विषयों के नाम जिसमें संवीक्षा करानी हो, का उल्लेख करना न भूलें। आवेदन पत्र में चाही गई सभी वांछित सूचनाओं के अभाव में संवीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. यदि परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया गया है तो उसे पूरक परीक्षार्थ (संवीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बगैर) निर्धारित अवधि में आवेदन कर देना चाहिये।
9. संवीक्षा के उपरान्त परिणाम अपरिवर्तित रहने की सूचना साधारण डाक से तथा परिवर्तन की सूचना स्पीड पोस्ट से तथा बोर्ड वेबसाईड पर उपलब्ध कराई जाती है। यदि तदाश्य की सूचना परीक्षार्थी को नवम्बर माह की अंतिम तिथि तक प्राप्त न हो तो कार्यालय से पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिशः सम्पर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। संवीक्षा संबंधित समस्त जानकारी माध्यमिक 0145–2623646 एवं उच्च माध्यमिक 0145–2623776 से दूरभाष पर प्राप्त की जा सकती है।
10. संवीक्षा के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और विवादस्पद स्थिति में इसका न्यायक्षेत्र अजमेर होगा।
11. परीक्षार्थी यदि प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर–पुस्तिका की संवीक्षा करवाना चाहता है तो वह आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख करे जिससे उस विषय की सैद्धान्तिक उत्तर–पुस्तिका के साथ प्रायोगिक उत्तर–पुस्तिका की भी संवीक्षा करवायी जा सके। परीक्षार्थी को इसके लिए पृथक शुल्क जमा नहीं कराना है।
12. परीक्षार्थी को आवेदन पत्र के साथ मूल अंकतालिका/इन्टरनेट से प्राप्त अंकतालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव